न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–319/2019

सफी अहमद अंसारी...वादी
बनाम
मकबुल आलम...प्रतिवादी

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
12.09.2023	वादी की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी की ओर से पैरवी नही है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 02.08.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी मकबुल की मृत्यु दिनांक 27.03.2023 को हो चुकी है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नी जायदा खातुन तथा दो पुत्र परवेज आलम एवं तबरेज आलम तथा तीन पुत्री शमा प्रवीण, बेबी प्रवीण एवं सिबु प्रवीण को छोडकर मरे है। मृतक के स्थान पर वारिसानों का प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः मृतक का नाम प्रतिवादी खाने से कलमजद कर मृतक के स्थान पर उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी मकबुल आलम के प्रतिस्थापन हेतु वादी द्वारा उक्त आवेदन दी गयी है। उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में वादी का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 02.08.2023 स्वीकार किया जाता है, तदनुसार प्रतिवादी के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–319/2019</u>

सफी अहमद अंसारी...वादी
बनाम
मकबुल आलम...प्रतिवादी

लगातार 12.09.2023	की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन पश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। दिनांक 13.10.2023 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	